न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 497/2024
अनवान : –

1. पालाराम पुत्र श्रवण राम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना हाल निवासी कानसर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. धापा पुत्री ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना हाल निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **असल प्रतिवादीगण**

3. देवकी पुत्री ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना हाल निवासी कानसर तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 18/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 54/54 के ख0न0 596/2 की 5.7300 हैक्ट, ख0न0 596/4 की 0.1500 हैक्ट एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 101/634 के ख0न0 1222 की 1.1380 हैक्ट व ख0न0 366/1 की 3.6670 हैकट कुल 4.8050 हैक्ट भूमि उक्त दोनो खातो में 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 100/96 के ख0न0 1263 की 4.5520 हैक्ट भूमि ख्यालीराम पुत्र श्रवण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में ख्यालीराम पुत्र श्रवण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है ख्यालीराम पुत्र श्रवण का देहान्त हो चुका है। ख्यालीराम पुत्र श्रवण की पत्नी सन्दोकी का भी देहान्त हो चुका है। वादी ने ख्यालीराम की सेवा पुत्र के रूप में की थी। ख्यालीराम के दो पुत्रीया धापा व देवकी है। धापा ने वादी द्वारा उनके पिता की सेवा से खुश होकर उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है वाद भूमि में प्रतिवादी स0 1 का कोई हक हिस्सा शेष नही है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीया संख्या 3 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:19:56 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को [illegible] हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण ख्यालीराम, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। अधिवक्ता वादी ने तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 को तर्क अंकित किया की प्रतिवादीया स0 3 को जो भी हक हिस्सा है उसे दिया जा रहा है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में ख्यालीराम पुत्र श्रवण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है ख्यालीराम पुत्र श्रवण का देहान्त हो चुका है। ख्यालीराम पुत्र श्रवण की पत्नी सन्दोकी का भी देहान्त हो चुका है। वादी ने ख्यालीराम की सेवा पुत्र के रूप में की थी। ख्यालीराम के दो पुत्रीया धापा व देवकी है। धापा ने वादी द्वारा उनके पिता की सेवा से खुश होकर उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है वाद भूमि में प्रतिवादी स0 1 का कोई हक हिस्सा शेष नही है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीया संख्या 3 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीया स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 54/54 के ख0न0 596/2 की 5.7300 हैक्ट, ख0न0 596/4 की 0.1500 हैक्ट एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 101/634 के ख0न0 1222 की 1.1380 हैक्ट व ख0न0 366/1 की 3.6670 हैक्ट कुल 4.8050 हैक्ट भूमि उक्त दोनो खातो में 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 100/96 के ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:19:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1263 की 4.5520 हैक्ट भूमि ख्यालीराम पुत्र श्रवण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में ख्यालीराम पुत्र श्रवण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की वादी का पिता है ख्यालीराम पुत्र श्रवण का देहान्त हो चुका है। ख्यालीराम पुत्र श्रवण की पत्नी सन्दोकी का भी देहान्त हो चुका है। वादी ने ख्यालीराम की सेवा पुत्र के रूप में की थी। ख्यालीराम के दो पुत्रीया धापा व देवकी है। धापा ने वादी द्वारा उनके पिता की सेवा से खुश होकर उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है वाद भूमि में प्रतिवादी स0 1 का कोई हक हिस्सा शेष नही है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीया संख्या 3 काबिज है एवं तरतीबी प्रतिवादीया स0 3 का जो भी हक हिस्सा है उसे दिया जा रहा है वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीया स0 1 द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीया संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक ख्यालीराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 54/54 की कुल 5.8800 भूमि मे से 1/2 हिस्सा भूमि जो की मृतक ख्यालीराम पुत्र श्रवणराम के नाम दर्ज है में वादी अकेला 1/4 हिस्सा भूमि एवं तरतीबी प्रतिवादी स0 3 अकेली 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 101/634 की कुल 4.8050 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जो की ख्यालीराम पुत्र श्रवणराम के नाम दर्ज है में वादी अकेला 1/4 हिस्सा भूमि एवं तरतीबी प्रतिवादी स0 3 अकेली 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 100/96 की कुल 4.5520 हैक्ट भूमि में ख्यालीराम पुत्र श्रवणराम के नाम दर्ज हक हिस्सा की भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि का वादी को एवं 1/2 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादीया स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:19:56 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 497/2024
अनवान : –

1. पालाराम पुत्र श्रवण राम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना हाल निवासी कानसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. धापा पुत्री ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना हाल निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– असल प्रतिवादीगण

3. देवकी पुत्री ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी बडबिराना हाल निवासी कानसर तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 497 सन 2024 निर्णय दिनांक - 18/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 54/54 की कुल 5.8800 भूमि मे से 1/2 हिस्सा भूमि जो की मृतक ख्यालीराम पुत्र श्रवणराम के नाम दर्ज है में वादी अकेला 1/4 हिस्सा भूमि एवं तरतीबी प्रतिवादी स0 3 अकेली 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 101/634 की कुल 4.8050 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जो की ख्यालीराम पुत्र श्रवणराम के नाम दर्ज है में वादी अकेला 1/4 हिस्सा भूमि एवं तरतीबी प्रतिवादी स0 3 अकेली 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 100/96 की कुल 4.5520 हैक्ट भूमि में ख्यालीराम पुत्र श्रवणराम के नाम दर्ज हक हिस्सा की भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि का वादी को एवं 1/2 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादीया स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/6/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:19:56 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर